तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.07.2019	**एकल पीठ** **श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य** **उपस्थित–** श्री जे. के. पंत, अभिभाषक निगरानीकार। श्री पी.एस. दशोरा, अभिभाषक गैरनिगराकार संख्या 1 **निर्णय** यह निगरानी धारा 84 व धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.02.2006 के विरूद्ध पेश की गई है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि निगरानीकर्ता ने आय प्रमाण–पत्र हेतु तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को आवेदन किया और दिनांक 25.01.2001 को तहसीलदार ने 36,000/– का वार्षिक आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जिस पर गैर निगरानीकार संख्या 1 ने आपत्ति प्रकट की। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ ने जांच कर एवं उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 25.01.2001 को जारी प्रमाण पत्र दिनांक 15.12.2001 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर निगराकार ने एक अपील जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ ने सुनवाई कर दिनांक 13.03.2002 को प्रकरण पुनः तहसीलदार निम्बाहेड़ा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर एवं विस्तृत जांच कर विधि अनुसार कार्यवाही करें। विद्वान तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के निर्देशों की पालना करते हुये दिनांक 25.06.2004 को अपना निर्णय पारित किया जिसमें उन्होंने दिनांक 15.12.2001 के आदेश को बहाल रखा। इस आदेश के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विरूद्ध निगराकार ने पुनः अपील जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के समक्ष पेश की जिसे दिनांक 16.08.2005 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष पेश की गई जो दिनांक 2.02. 2006 को खारिज कर दी गई जिससे व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। उभयपक्ष बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अंजना बोरिंग कम्पनी निगराकार की नहीं होकर चतरभुज की है जिससे निगराकार को कोई आय नहीं होती है। न ही उक्त फर्म पर निगराकार का कोई स्वामित्व ही है। निगराकार की कृषि आय 25,000/– रूपये व अन्य स्त्रोतो से आय 11,000/– रूपये कुल आय 36,000/– रूपये वार्षिक से अधिक नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार पर निगराकार की वार्षिक आय 36,000/– रूपये मानते हुए अधीनस्थ तहसीदार निम्बाहेडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2004 यथावत रखा जाने का आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है तथा गैरनिगराकार युवराज सिंह द्वारा निगराकार के हक में तहसीलदार के द्वारा जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में दिनांक 20.09.2001 को याचिका पेश कर आय प्रमाण पत्र को चुनौती दी हुई है इसलिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका विचाराधीन होने के कारण गैरनिगराकार द्वारा 18.06.2002 के आवेदन के माध्यम से जो आपत्ति पेश की है, वह असंवैधानिक है। अतः निगरानी स्वीकृत फरमाई जाकर तीनो अधीनस्थ न्यायालयों क्रमशः राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 02.02.2006 व जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 16.08.2005 व तहसीलदार के निर्णय दिनांक 25.06.2004 को निरस्त फरमाया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विद्वान अधिवक्ता गैरनिगराकार ने तर्क दिया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित है, जिनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपने निर्णय प्रदान किए है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया गया।

यहाँ पर विचारणीय बिन्दु यह है कि आय प्रमाण पत्र जारी करने का आवेदन पत्र न्यायिक कार्यवाही है अथवा प्रशासनिक। इस संदर्भ में विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ ने अपने निर्णय में विस्तार से प्रत्येक पक्ष का विश्लेषण करते हुये अपना अभिमत प्रकट किया है जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप उक्त निगरानी अस्वीकार की जाती है और विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ का निर्णय दिनांक 2.2.2006 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिशंकर गोयल)
सदस्य